रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-03052023-245635 CG-DL-E-03052023-245635

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271] No. 271] नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2023/वैशाख 13, 1945 NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2023/VAISAKHA 13, 1945

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 341(अ).—औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 33-ढ की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार औषधि नियमावली, 1945 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात,—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों को औषधि (संशोधन) नियम, 2023 कहा जा सकेगा।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. औषधि नियमावली, 1945 में,-
 - (क) नियम 153 में, दूसरे परंतुक में, "अठारह माह के भीतर" शब्दों के लिए, "चौबीस माह के भीतर" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ख) नियम 153-क में, दूसरे परंतुक में, "अठारह माह के भीतर" शब्दों के लिए, "चौबीस माह के भीतर" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. टी-11011/7/2021-डीसीसी (आयुष)]

कविता गर्ग, संयुक्त सचिव

2930 GI/2023 (1)

टिप्पणी: मूल नियम 21 दिसंबर, 1945 की अधिसूचना संख्या फा. 28-10/45-एच (1) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और 17 नवंबर, 2022 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 823 (स्था.) द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF AYUSH

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2023

- **G.S.R. 341(E).** In exercise of the powers conferred by proviso of sub-section (1) of section 33N of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Drugs Rules, 1945, namely,—
- 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Drugs (Amendment) Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Drugs Rules, 1945, -
 - (a) in rule 153, in the second proviso, for the words "within eighteen months", the words "within twenty four months" shall be substituted;
 - (b) in rule 153A, in the second proviso, for the words "within eighteen months", the words "within twenty four months" shall be substituted.

[F. No. T-11011/7/2021-DCC (AYUSH)] KAVITA GARG, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, *vide*, notification No. F. 28-10/45-H(1), dated the 21st December, 1945 and last amended, *vide*, notification number G.S.R. 823 (E), dated the 17th November, 2022.